

परियोजना का नाम :- मा० मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या-6406 / 111 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चक्रता के विकासखण्ड कालसी के ग्राम प्लान से ग्राम बिहार तक मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव [कि०मी० 1 से 5.275 तक।

भाग-2(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7.

परियोजना या रकीम की अवस्थिति

- i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र
- (ii) जिला
- (iii) जिला वन प्रभाग

कालसी में ग्राम प्लान से

- ग्राम बिहार सम्पर्क मोटर मार्ग
- उत्तराखण्ड
- देहरादून
- चक्रता वन प्रभाग
- चक्रता

- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :- 0.343 हेक्टेक्टर

8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति:

क्षेत्रिक निपट वृक्ष, वन भूमि वार्षिक

9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:

वन भूमि विविध वृक्षों का समूह

- (i) वन का प्रकार
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.5 हेक्टेक्टर
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना
- (iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा

सलग

10. भूक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :- 3.245 हेक्टेक्टर

12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

- (i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान नहीं

वन्यजीव का व्यौरा :

- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

नहीं

- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बाहर और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्ध की जाएं)

(v) क्या क्षेत्र में दनरपति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके बारे

13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ री) के साथ उसका बौरा दें)

14. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें : जन १६०

(i) क्या भाग - 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश के

15. किए गए अतिकमण के बारे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

(iv) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)

(v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बारे संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से प्रहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों उस मार्ग उपर्युक्त इन स्थानों को उपर्युक्त कार्य के लिए उपर्युक्त कर जाते हैं  
(मानोप्रणाली को मालायला पालेश्वर उपर्युक्त कार्य के लिए उपर्युक्त कर जाते हैं)  
दिनांक 18-2-2015

हस्ताक्षर

स्थान वनस्पति

उप वन संरक्षक कार्यालय  
बकरादा द। प्रभाग  
कावसी

नाम (जी. डिवानु ठिड्ड)  
सरकारी मोहर

प्रभागीय वनस्पति विभाग  
वन संरक्षण वन प्रभाग  
वनस्पति विभाग